हरिभूमि
रायपुर भूमि - Page 1
Date 4 July 2025

अनुसूचित जाति की युवती को शादी का झांसा देकर रेप उम्रकैद के साथ जुर्माना

- तीन वर्ष पूर्व गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का मामला
- युवती को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ मकान किराया दिलाकर बनाया रेप का शिकार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व चर्चित युवती को शादी करने का झांसा देकर तथा उसके साथ मारपीट कर रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपए की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई पंकज सिन्हा की स्पेशल कोर्ट अनुसूचित जाति, जनजाति निवाराण कोर्ट में हुई।

विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा के अनुसार अनुसूचित जाति की युवती से रेप के आरोप में कोर्ट ने गुढ़ियारी निवासी पेशे से ग्रिल कारोबारी नबी आलम खान को कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। युवती ने ▶▶शेष पेज 13 पर

मकान किराए पर दिलाकर किया रेप

युवती के अनुसार नबी ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वहां वह मजदूरों की जानकारी के साथ माल के आवक-जावक की जानकारी लिखती थी। इस दौरान नबी ने युवती को दूर से आने की बात कह कर नजदीक में मकान किराया दिलाया। युवती के अनुसार 15 जून 2022 को दुकान में कोई नहीं था। इस दौरान नबी ने युवती के पास शादी का प्रस्ताव रख कर उसके साथ रेप किया। युवती जिस मकान में किराए पर रहती थी, वहां जाकर नबी युवती के साथ रेप करता था।